कोयला मंत्रालय

मांग संख्या 10

कोयला मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	473.87	49.79	523.66	551.00	55.00	606.00	551.00	52.30	603.30	300.00	61.00	361.00
पूंजी	...	*176.13*	*176.13*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**473.87**	**225.92**	**699.79**	**551.00**	**55.00**	**606.00**	**551.00**	**52.30**	**603.30**	**300.00**	**61.00**	**361.00**

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
ब.अ. 2016-2017													
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23.41	23.41
2. कोयला खान पेंशन योजना	2230	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23.00	23.00
3. कोयला और लिग्नाइट													
3.01 अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
	2803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.00	...	9.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*10.00*	...	*10.00*
3.02 कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.05	...	0.05
	2803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	150.45	...	150.45
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*150.50*	...	*150.50*
3.03 कोयला और लिग्नाइट की खोज	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.95	...	13.95
	2803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	125.55	...	125.55
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*139.50*	...	*139.50*
3.04 सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.59	14.59
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*14.59*	*14.59*
जोड़- कोयला और लिग्नाइट		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*300.00*	*14.59*	*314.59*
4. कोयला समृद्ध क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरी की गई योजना													
4.01 कोयला समृद्ध क्षेत्र का अधिग्रहण	4803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1100.00	1100.00
4.02 घटाएं : सीबीए निधि से पूरा किया व्यय	4803	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	-1100.00	-1100.00
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
सं.अ. 2015-2016													
5. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	1.24	16.16	17.40	1.25	19.10	20.35	1.25	18.39	19.64	...	...	...
श्रम और रोजगार													
कोयला खान श्रमिक कल्याण													
6. कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना को अंशदान	2230	...	22.25	22.25	...	22.35	22.35	...	22.35	22.35	...	...	...
कोयला और लिग्नाइट													
7. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया है)	2803	185.00	...	185.00	170.00	...	170.00	170.00	...	170.00	...	...	...
8. कोयला खनन क्षेत्रों में यातायात आधारभूत ढांचे का विकास (उपकर संग्रहण से पूरा किया गया)	2803	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	75.00	...	75.00	...	...	...
9. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम	2803	17.95	...	17.95	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	...	...	...
10. क्षेत्रीय अन्वेषण	2803	58.82	...	58.82	103.50	...	103.50	103.50	...	103.50	...	...	...
11. व्यापक ड्रिलिंग	2803	135.71	...	135.71	151.20	...	151.20	151.20	...	151.20	...	...	...
12. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	2803	...	...	...	0.45	...	0.45	0.45	...	0.45	...	...	...
13. कोयला नियंत्रक	2803	0.15	7.83	7.98	1.00	8.55	9.55	1.00	8.16	9.16	...	...	...
14. नामांकित प्राधिकरण	2803	...	3.55	3.55	...	5.00	5.00	...	3.40	3.40	...	...	...
जोड़-कोयला और लिग्नाइट		**472.63**	**11.38**	**484.01**	**519.15**	**13.55**	**532.70**	**519.15**	**11.56**	**530.71**	**...**	**...**	**...**
15. कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण निधि से पूरा किया गया व्यय (सीबीए)													
15.01 कोयला पूरित क्षेत्रों का अधिग्रहण	4803	...	1048.83	1048.83	...	1100.00	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	...	...
15.02 घटाइए-कोयला भंडार वाले क्षेत्र अधिग्रहण से पूरा किया गया व्यय	4803	...	-872.70	-872.70	...	-1100.00	-1100.00	...	-1100.00	-1100.00	...	...	...
	कुल	*...*	*176.13*	*176.13*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
16. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	30.60	...	30.60	30.60	...	30.60	...	...	...
जोड़-श्रम और रोजगार		**472.63**	**209.76**	**682.39**	**549.75**	**35.90**	**585.65**	**549.75**	**33.91**	**583.66**	**...**	**...**	**...**
कुल जोड़		***473.87***	***225.92***	***699.79***	***551.00***	***55.00***	***606.00***	***551.00***	***52.30***	***603.30***	***300.00***	***61.00***	***361.00***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. नेवेली लिग्नाइट निगम लिमिटेड	12801	...	1883.79	1883.79	...	3474.00	3474.00	...	2769.00	2769.00	...	5863.40	5863.40
	12803	...	85.97	85.97	...	731.00	731.00	...	194.00	194.00	...	415.52	415.52

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
	जोड़	...	*1969.76*	*1969.76*	...	*4205.00*	*4205.00*	...	*2963.00*	*2963.00*	...	*6278.92*	*6278.92*
2. कोल इण्डिया लिमिटेड	12803	...	5173.49	5173.49	...	5990.50	5990.50	...	6800.00	6800.00	...	7765.00	7765.00
3. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.	12803	...	2809.00	2809.00	...	2390.00	2390.00	...	3550.00	3550.00	...	2300.00	2300.00
जोड़		**...**	**9952.25**	**9952.25**	**...**	**12585.50**	**12585.50**	**...**	**13313.00**	**13313.00**	**...**	**16343.92**	**16343.92**
ग. योजना परिव्यय													
1. विद्युत	12801	...	1883.79	1883.79	...	3474.00	3474.00	...	2769.00	2769.00	...	5863.40	5863.40
2. कोयला और लिग्नाइट	12803	473.87	8068.46	8542.33	520.40	9111.50	9631.90	520.40	10544.00	11064.40	285.00	10480.52	10765.52
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	30.60	...	30.60	30.60	...	30.60	15.00	...	15.00
जोड़		**473.87**	**9952.25**	**10426.12**	**551.00**	**12585.50**	**13136.50**	**551.00**	**13313.00**	**13864.00**	**300.00**	**16343.92**	**16643.92**

1. **सूचना प्रौद्योगिकी सहित सचिवालय/आर्थिक सेवाएं ::** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **कोयला खान पेंशन योजना/जमा संबद्ध बीमा योजना के लिए अंशदान ::** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च,1998 से लागू की गई है। इस योजना के लिए निधियों की व्यवस्था कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा कुल परिलब्धियों के 1.1/6 प्रतिशत के अंशदान द्वारा की जाती है। केंद्रीय सरकार भी 1600 रुपए प्रतिमाह की उच्चतम सीमा की शर्तें पर कर्मचारियों की कुल परिलब्धियों के 1.2/3 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है। इस योजना के प्रशासन की लागत आंशिक तौर पर केंद्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

3.01. **अनुसंधान और विकास ::** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने कोयले हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।

3.02. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास ::** कोयले की निकासी के पश्चात खानों के स्थिर करने में लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इस उद्देश्य के लिए निधि की व्यवस्था कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन गैर-कोकिंग तथा कोकिंग कोयले पर 10 रुपए प्रति टन की दर से कोयले के प्रेषण पर उपकर (उत्पाद-शुल्क) लगाकर की जाती है। इसमें कोयला क्षेत्रों में भूमि सुधार और घंसान नियंत्रण सहित पर्यावरण उपाय करने के लिए भी प्रावधान है।

3.03. **कोयला और लिग्ननाइट अन्वेषण ::** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई वृद्धि को पूरा करेन के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता के निर्धारण हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए है। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिससे कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को मदद कर सके। इस कदम से कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

3.04. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ::** यह प्रावधान कोयला नियंत्रक कार्यालय, नामांकित प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।

4. **कोयला समृद्ध क्षेत्रों का अधिग्रहण ::** यह प्रावधान कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कोयला समृद्ध क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु है।